17/8/23 पगावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उप० वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय अलग से तैयार करा खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर शामिल पगावली किया गया। पगावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0) डिक्री

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री हुकमीचन्द रोहलानिया (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्रीमती वादी पुत्री स्व० श्री धीसा कीर पत्नी श्री भीमा कीर निवासी बावलास हाल निवासी मेजा तहसील-माण्डल

वादी

बनाम

1 श्रीमती गीता पत्नी स्व० श्री बक्षु कीर निवासी-बावलास तहसील-माण्डल

2. श्रीमती गंगा पत्नी स्व० श्री बक्षु कीर निवासी-बावलास तहसील-माण्डल

3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील-माण्डल

4. उप पंजीयक महोदय माण्डल जिला-भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,188 मुकदमा नं0 / वर्ष 279/19 निर्णय दिनांक 17-08-23

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री सत्यनारायण सोमानी A/o. मगलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बावलास पटवार हल्का बावलास तहसील-माण्डल की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं० नया 109 मे गीता, गंगा पत्नी बक्षु कीर सा० देह खातेदारी से दर्ज आराजी नं. 1526 रकबा 2.00 बीघा, आराजी नं. 1600 रकबा 1.05 बीघा, आराजी नं. 1860 रकबा 1.10 बीघा, आराजी नं. 1861 रकबा 1.17 बीघा, आराजी नं. 1862 रकबा 1.05 बीघा, आराजी नं. 1863 रकबा 1.13 बीघा, आराजी नं. 1864 रकबा 0.02 बीघा, आराजी नं. 1865 रकबा 0.04 बीघा, आराजी नं. 1866 रकबा 0.08 बीघा, आराजी नं. 1867 रकबा 0.06 बीघा, आराजी नं. 1868 रकबा 0.07 बीघा, आराजी नं. 1869 रकबा 0.01 बीघा, आराजी नं. 1871 रकबा 0.12 बीघा आराजी नं. 1874 रकबा 0.09 बीघा कुल किता 14 रकबा 11.19 बीघा मे वादिया को 1/2 हिस्से का

आज तारीख 17-08-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।